

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220135
CG-DL-E-24062020-220135

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1795]
No. 1795]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

का. आ. 2020(अ).—केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

पहली अनुसूची में, “भाग—I महापत्तन” में, कॉलम (1) में, “कलकत्ता” की प्रविष्टि के लिए “श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता” की प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. पीडी-11020 / 11 / 2020—पीडी-III]

संजय बंदोपाध्याय, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2020

S. O. 2020(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule, in “Part-I MAJOR PORTS”, in column (1), for the entry “Calcutta”, the entry “Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata” shall be substituted.

[F. No. PD-11020/11/2020-PD-III]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Addl. Secy.